ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 177-179**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

महिलाओं का अधिकारी ही मानवाधिकार है

डॉ० शालिनी मिश्रा
असिस्टेंट प्रोफेसर–समाजशास्त्र विभाग, शिब्ली नेशनल कालेज आजमगढ़ (उ0प्र0) भारत

Received-15.03.2025, Revised-22.03.2025 Accepted-27.03.2025 E-mail : tripathishalini260@gmail.com

सारांशः विश्व में प्राचीनकाल से ही किसी न किसी रूप में मानवाधिकार की अवधारणा रही है। प्राचीन यूनान में अरस्तू का न्याय का सिद्धान्त सामने आया। प्राचीन भारत में महाभारत के शान्तिपर्व में राजा के आचरण के बारे में कहा गया है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र में प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण बताया गया है। सम्राट अशोक ने कलिंग अभिलेख में प्रजा को सन्तान की तरह माना और अधिकारियों को जनता पर अत्याचार न करने का निर्देश दिया था। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों, बाइबल, कुरान और गुरू ग्रंथ साहब के पवित्र संदेशों में समान रूप से यह दृष्टिगोचर होता है। मध्यकालीन संतो की वाणियों के माध्यम से समता और सर्व–कल्याण की वह धारा हम तक निरंतर प्रवाहित होती रही है, जो उपनिषदों शान्तिपाठों से निकली थी। इस वैचारिक सम्पत्ति से समृद्ध होने के कारण हमारे संविधान निर्माता मानवाधिकारों की अनिवार्यता को भली–भाँति समझ सकें। उन्होंने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत मानव जीवन से जुड़े लगभग सभी पहलुओं के बारे में प्रावधान किये और मानवाधिकार की समकालीन परिकल्पना से उनका सामंजस्य स्थापित किया।

कुंजीभूत शब्द– मानवाधिकार, अरस्तू के न्याय का सिद्धान्त, कलिंग अभिलेख, वैचारिक सम्पत्ति, परिकल्पना, प्रवाहित

'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सार्वभौमिक सिद्धान्त हमारी संस्कृति का मूल रहा है, जिसमें न केवल देश, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के सभी प्राणियों को एक ही परिवार का सदस्य माना गया है। प्राचीन भारत में–

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।।

अर्थात् सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का कल्याण हो, किसी को भी दुख का अनुभव ना करना पड़े, का सिद्धान्त सर्वप्रसिद्ध और लोकप्रिय था।

लेकिन बाद के समय में यह व्यवस्था परिवर्तित होने लगी और पितृ/पुरूष प्रधान समाज व्यवस्था में परिवार के भीतर व बाहर, पुरुष ही शक्ति का प्रतीक बन गया। सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार की परिकल्पनाओं ने मातृ/महिला प्रधान समाज व्यवस्था का अंत किया तथा महिलाओं के विरूद्ध दमनकारी प्रणाली का प्रारम्भ हुआ। इसके फलस्वरूप परिवार तथा समाज में महिलायें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से वंचित कर दी गई। वे पति, पिता तथा परिवार की निजी वस्तुओं के रूप में परिवर्तित हो गईं। वे धर्म के उस क्षेत्र से भी निषिद्ध कर दी गई, जिसमें उनको पुरुषों से समता प्राप्त थी। महिलाओं को पशु माना जाता था तथा उनका मूल्य उनकी उपयोगिता द्वारा आंका जाता था। कन्फ्यूशियस ने आज्ञा मानने वाली एक क्रिया द्वारा महिलाओं की भूमिका परिभाषित की थी।

इस्लाम पहला मजहब था जिसने 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में महिलाओं की परिस्थिति के विषय में सोचा तथा जीवन में समानता के अधिकार के विरूद्ध भेदभाव तथा महिलाओं व कन्याओं के सम्मान तथा सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार में भेदभाव के विरूद्ध लड़ाई की। हजरत मुहम्मद ने महिलाओं के प्रति भेदभाव के विरूद्ध अभियान चलाया और यहाँ तक कहा, कि "वे सभी जिन्होंने अपनी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा तथा विवाह सुनिश्चित किये है, सभी जन्नत के हकदार है। इस कथन के बावजूद भी कुरान की कुछ आयतों की व्याख्या को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों तथा विकृत मानसिकता के अनुकूल ढाल लिया जिसका प्रयोग उन्होंने अपने अनुकूल किया जिसमें महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई। 19वीं शताब्दी के फ्रेंच लेखक ने अपने देश में महिलाओं की परिस्थिति पर टिप्पणी व्यक्त करते समय जो लिखा, वह पूरे विश्व ने अनुभव किया। "महिलाओं को पूर्ण समता उपलब्ध कराना सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमाण होगा, तथा इससे मानव जाति की प्रबुद्धता शक्ति दोगुनी हो जायेगी। इसी समय के आसपास मिस्र में एक प्रख्यात लेखक कसीम अमीन ने, महिलाओं के प्रति भेदभाव के विरूद्ध अभियान चलाते हुये कहा कि "किसी भी राष्ट्र का विकसित होना तब तक असंभव है जब तक वह महिलाओं से बनी आधी आबादी के योगदान से वंचित रहता है।"

मानवाधिकार प्रत्येक समाज में शान्ति तथा उन्नति के लिए आवश्यक होते है। अब यह विस्तृत रूप से स्पष्ट हो गया है कि मानवाधिकार विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाले मानवाधिकार संबंधी विषयों की न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष समाज की प्राप्ति की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक समुदाय में महिलाओं का स्थान उस समाज के हित के लिए अत्यावश्यक होता है। ऐतिहासिक रूप से मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का प्रमाण 15 जून, 1215 की उस घटना में मिलता है, जब ब्रिटेन के सीमेड नामक स्थान पर तत्कालीन सम्राट जॉन को उसके सामन्तों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। इतिहास में इसे 'मैग्नाकार्टा' के नाम से जाना जाता है। सन् 1689 में एक 'अधि कार–पत्र' पर ब्रिटेन के सम्राट के हस्ताक्षर करवाने में ब्रिटेन की संसद सफल हुई, जो बाद में मानवाधिकारों के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुई। वर्ष 1776 में अमेरीकी क्रांति के बाद स्वाधीनता की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि– "सभी मनुष्य जन्म से समान है।"6 फ्रांस में 1789 में हुई क्रांति जिसमें स्वन्तत्रा, समानता और भाईचारें के नारे दिये गये। क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने नये संविधान में मानवाधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों के संवैधानिक रूप से मान्यता देने की प्रथा शुरू की। वर्ष 1791 में अमेरिका के संविधान के प्रथम दस संशोधनों द्वारा नागरिकों के मलभत अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। यह संविधान संशोधन सामूहिक रूप से 'अधिकार–पत्र कहलाएं। इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों के संविधानों पर भी पड़ा। आयरलैण्ड का संविधान (1921), जापान का संविधान (1947), भारत का संविधान (1950), फ्रांस का संविधान (1958), चीन का संविधान (1982) आदि।

प्रसिद्ध फ्रांसिसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसों ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा था, मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है, पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अपनी इस सूक्ति में रूसों ने शोषण तथा असमानता के बंधनों में जकड़े हुये जनसाधारण की स्वतन्त्र होने की और स्वाधीनता, आजादी तथा समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था। वास्तव में, अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनीतिक आन्दोलन बहुत समय से मनुष्य को उन जंजीरों से मुक्त कराने का, जिसमें

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

वह जकड़ा रहा है, उन्हें उन अधिकारों का उपयोग करते हुये देखने का प्रयत्न करते रहे है जिन्हे रूसों स्वाभाविक अभिन्न तथा अविभाज्य समझता था।

मानवाधिकार ऐसे अधिकार होते है जो प्रत्येक मानव को जन्मजात प्राप्त होते है। ये मानवाधिकार मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग होते है और ये मानव–मात्र के विकास के लिए अत्यावश्यक होते है। इसमें मनुष्य की जाति, लिंग, सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक स्थिति, राष्ट्रीयता तथा व्यवसाय के कारण किसी प्रकार का भेदभाव नही किया जाता है। मानवाधि कारों के कारण ही किसी समाज में रहने वाले पुरुष व महिलायें अपन व्यक्तित्व का विकास कर सकते है तथा अपने सामाजिक व आर्थिक हिता की पूर्ति भी कर सकते है। अलग–अलग जगहों पर इन्हें मूलाधिकार, आध परभूत अधिकार, अर्न्तनिहित अधिकार और नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। हालाँकि मानवाधिकार की कोई सर्वमान्य और विश्वव्यापी परिभाषा नही है लेकिन विभिन्न विद्वानों और संस्थाओं ने इसे अपने–अपने तरीके से परिभाषित किया है।

विभिन्न राष्ट्रों ने मानवाधिकारों की परिभाषा अपनी सुविधानुसार दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इग्लैण्ड जैसे विकसित राष्ट्र मानवाधिकारों के अन्तर्गत मनुष्य के मात्र राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को ही सम्मिलित करते है जबकि साम्यवादी और इस्लामी देश मानवाधिकारों की परिभाषा, सांस्कृतिक मूल्यों के अन्तर्गत देते है। इन सबके विपरीत भारत और अन्य विकासशील राष्ट्र मानवाधिकारों के अर्न्तगत राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों को भी रखते है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार एक ज्वलंत विषय है। मानव दिन–प्रतिदिन अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी होता जा रहा है और इसी के साथ बढ़ता जा रहा है मानवाधिकारों का उल्लंघन। मानवाधिकारों को सबसे अधिक चोट पहुंचाई है, आतंकवाद और मीडिया ने।

मानवाधिकार एक प्राकृतिक चीज है इसलिए इसे समझना काफी आवश्यक है। मानवाधिकार, वे अधिकार होते है, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव–मात्र होने के नाते ही प्राप्त हो जाते है। भले ही उसकी राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि कुछ भी हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में मानवाधिकारों को परिभाषित करते हुये कहा गया है कि, "व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता और गरिमा से सम्बन्धित वे अधिकार मानवाधि कार कहलाते है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लिखित है अथवा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रर्वतनीय है। मानवाधिकारों को कानूनी, सामाजिक व नैतिक, तीनों रूपों में परिभाषित करने का प्रयास विद्वानों द्वारा किया गया है। आर0जे0 विंसेट के मुताबिक– "मानवाधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है।" डेविड सेलबाई कहते है"मानवाधिकार विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि वे स्वयं में मानवीय है, वे उत्पन्न नही किये जा सकते, खरीदे नही जा सकते और ये अधिकार संविदावादी प्रक्रियाओं से भी मुक्त होते है। मानवाधिकार मनुष्य के जीवन, उसके अस्तित्व और व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है।

स्त्री हो या पुरुष सभी के समान मानवाधिकार होते है। महिलाओं के मानवाधिकारों को आज विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही महिला मानवाधिकारों पर चर्चा प्रारम्भ हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों से सम्बन्धित चार्टर की प्रस्तावना में भी महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों की वकालत की गई है। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि दुनिया में सबसे अधिक अपराध और अत्याचार महिलाओं के खिलाफ ही होते है। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के मानवाधिकार काफी महत्वपूर्ण हो जाते है। विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं को विशेष अधिकार दिये गये है ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। महिला आन्दोलन के इस दौर में एक ओर जहां महिलाओं को अधिकाधिक अधिकार दिये जाने की कवायद चल रही है, वही दूसरी ओर महिलाओं के बीच भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मानवाधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है।

महिलाओं को आमतौर पर अपराध की दृष्टि से बेहद आसान लक्ष्य माना जाता है इसलिए दुनिया में अपराध बढ़ते जा रहे है। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समय–समय पर काफी प्रयास किये है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि– "हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग मूलभूत मानवाधिकारों में मानव व्यक्ति की गरिमा व मूल्य में तथा पुरुष व स्त्री के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संयक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में महिलाओं की समानता के अधिकार की घोषणा की गई है। इसके आलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के "मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र में भी महिलाओं को बिना भेदभाव के अधि कारों की प्राप्ति का भी अधिकारी माना जाता है।

महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के विभेदों की समाप्ति सम्बन्धी अभिसमय की घोषणा सन् 1979 में की गई थी और 3 सितम्बर 1981 से यह अभिसमय दुनियाभर में लागू हो गया। इस अधिकार–पत्र में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में आस्था को गंभीरतापूर्वक दुहराया गया था और कहा गया था कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र और समान अधिकारों के हकदार है और लिंग–सम्बन्धी विभेद सहित हर प्रकार के विभेद के बिना वे संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में उल्लिखित अधिकारों के हकदार है। इस अभिसमय में कहा गया है कि किसी भी देश के सम्पूर्ण विकास, विश्व के कल्याण और शान्ति के हित का तकाज़ा है कि महिलायें पुरुषों से पर्ण सभागत के हर स्तर पर सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक शिरकत करें। इस अभिसमय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये।

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, ताकि मानव और मानव के बीच स्वाधीनता, बराबरी तथा प्रतिष्ठा का रिश्ता स्थापित हो सकें तथा इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक आदि अधिकारों को भी शामिल किया गया है। इन अधिकारों में मत देने, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, जीविकोपार्जन का साधन पाने, सामाजिक सुरक्षा आदि को भी सम्मिलित किया गया है।

मानवाधिकारों की उदारवादी व्याख्या करने पर हम पाते है कि लॉस्की, बोसांको तथा ग्रीन आदि ने मानवाधिकारों को बहुत महत्व प्रदान किया। लॉस्की तो किसी राज्य को अच्छा या बुरा इसी मापदण्ड पर मानता है कि उसने अपने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्रदान किये है। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानवाधिकार 4 प्रकार के होते है– जीवन का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार तथा राज्य के प्रति विरोध का अधिकार। मानवाधिकार की मार्क्सवादी व्याख्या के अनुसार "राज्य विहीनता" की स्थिति में मानव अधिकारों की कल्पना करता है। मार्क्सवादी चिंतन में मानव अधिकार का स्वरूप व्यक्तिवादी न होकर समाजवादी है। व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए उसमें कोई स्थान नही है। व्यक्ति को मानवाधिकार इस रूप मे प्राप्त है कि उनका प्रयोग करके वह अपने कल्याण के साथ–साथ सम्पूर्ण समाज का भी कल्याण कर सकें।

भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति में मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा प्राचीन काल से ही स्थापित रही है। महाभारत कालीन साहित्य तथा कौटिल्य आदि के समय में नारियों पर प्रहार करना, निरपराधों को सताना, राजदूत या राज्य प्रतिनिधि को अपमानित

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

करना वर्जित माना गया था। अत्यन्त प्राचीन काल में महिलायें समाज का एक अभिन्न अंग थी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के अवसर, पुरुषों से बराबरी की स्थिति, फैसला लेने में पुरुषों के समान हिस्सेदारी तथा पर्दा प्रथा का रिवाज न होने के कारण महिलाओं का समाज में सर्वोच्च स्थान था। भारत में महिलाओं को पूज्यनीय मानते हुये इतना तक कहा गया था कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।" और मध्य कालिन भारत में भी मानवाधिकार किसी न किसी रूप में विद्यमान था। प्राचीन भारतीय आदर्श के तीन मुख्य बिन्दु मानववाद, वसुधैव कुटुम्बकम एवं धार्मिक सहिष्णुता भारतीय परम्परा में लगातार जारी रहा है। अब्दुल अजीज' जैसे इस्लामी विद्वान के अनुसार, इस्लामी परम्परा के अनुसार मानव अधिकार व्यक्तिगत गरिमा के आधार पर विकसित हुआ है, जिसका लक्ष्य मानवीय समाज की रचना करना है। लेकिन स्थिति बहुत दिनों तक नही रही और महिलाओं के साथ हर स्तर पर भेदभाव का व्यवहार प्रारम्भ हो गया। सामाजिक दृष्टि से पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाने लगा, जिससे उनके सम्मान व महत्व में गिरावट आना प्रारम्भ हो गया। यह स्थिति भी बहुत अधिक दिनों तक नहीं चली और आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कानून बने। 20वीं शताब्दी के समय में महिलाओं की स्वतन्त्रता में बढ़ोत्तरी हुई और उनका प्राचीन गौरव पुनः स्थापित होने लगा। महिलाओं को कानून और समाज में संरक्षण और पर्याप्त सम्मान मिलना प्रारम्भ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित कर दिये गये है जिससे उनमें एक आत्मविश्वास, कुछ करने की चाह उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। संसद और राज्य–विधान सभाओं में भी एक तिहाई स्थान महिलाओं द्वारा भरे जाने का निर्णय होने से वह और अधिक आत्मनिर्भर होंगी, जिसके लिए प्रयास चल रहे है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से महिलाओं का जितना अधिक विकास होना चाहिए था, उतना नही हो पाया, वे कुछ कारण इस प्रकार है, जैसे– अभी भी कुछ सामाजिक रीति–रिवाज और प्रथायें इस प्रकार है जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में दूसरे दर्जे का मानती है, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की ओर हमारा समाज कम महत्व देता है, निरक्षरता के कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है, महिलाओं को मजबूरी वश या परिवार के आदर व सम्मान की खातिर विपरीत वैवाहिक परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है जिससे उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं हो पाता, दयनीय दशाओं में सुरक्षा के बिना नौकरी करना उनके लिए एक अभिशाप है और पुलिस के सम्पर्क में बुरा प्रभाव आदि ऐसी तस्वीरें हैं जो महिलाओं को अपने विकास में बाधक प्रतीत होती है। मानवाधिकार संरक्षण कानून के निर्माण और राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से नारी की स्थिति समाज में और मजबूत हुई है।

महिलाओं की प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सभा मैक्सिकों में 1975 में, "समता, विकास व शान्ति" शीर्षक के अन्तर्गत आयोजित हुई। इस सभा के निष्कर्षों में एक निष्कर्ष यह भी था कि अपने देश के उत्थान के लिए महिलाओं को किसी भी पुरुष के समान योगदान देना चाहिए और वे दे भी सकती है। इसे महिलाओं की प्रगति का स्रोत माना गया। नैरोबी में 1985 में आयोजित महिलाओं पर तृतीय विश्व सम्मेलन की भावी व्यूह रचना प्रतिज्ञा करती है– "यह स्वीकार करना आवश्यक है कि प्रगति के प्रयन्तों को दिशा देने के लिए महिलाएँ पुरुषों के समान योगदान देती है तथा इस प्रगति द्वारा संचारित लाभों से वे लाभान्वित भी हो।"11 मानवाधि कारों पर लाया गया विश्व सम्मेलन 1993, में महिलाओं के लिए सफल हुआ, जब उनकों पुरुषों के समान ही पहचाना गया। विश्व की अधिकांश महिलायें गरीबी तथा घोर दरिद्रता से पीड़ित है। महिलाओं का शोषण, दुरूपयोग व उनसे बलात्कार किया जाता है, बलपूर्वक वेश्यावृत्ति तथा गुलामी कराई जाती है। युद्ध, भेद, जाति, राष्ट्रीयता तथा धार्मिक असहिष्णुता के कारण हुये आन्तरिक कलहों में भी महिलाओं को ही सबसे अधिक कष्ट उठाने पड़ते है। विश्व के प्रत्येक भाग में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। उनको पतियों द्वारा पीटा जाता है, कन्याओं से बलात्कार किया जाता है अथवा बगैर मतलब के पति अथवा अन्य नजदीकी–रिश्तेदारों द्वारा घर पर ही उनके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है। दहेज संबंधी हिंसा, सती प्रथा तथा बलपूर्वक बन्ध्याकरण, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अन्य गम्भीर उदाहरण है : यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में, कहा गया है कि यह हिंसा "मानवाधिकारों के हनन का सबसे विकृत स्वरूप है।"12 संस्थागत महिलाएं, महिलाओं के मानवाधिकारों की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है विभिन्न प्रकार का उत्पीड़न । दुर्भाग्य की बात है कि औरतों को घर के बाहर के साथ–साथ घर के भीतर भी यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। यौन उत्पीड़न से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी हमारे कानून में विशेष प्रावधान किये गये है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी महिलाओं को हर प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये है। इसके आलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की आचार–संहिता भी अस्तित्व में है। इसके बावजूद भी अगर महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आते है तो दोष हमारी व्यवस्था का भी है। इसके आलावा महिलाओं में अपने मानवाधिकारों के प्रति चेतना जाग्रत करने की भी आवश्यकता है। महिलायें अपने मानवाधिकारों को प्राप्त कर एक परिवार एक समाज, एक राज्य व एक देश को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में सहायक हो सकती है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. योजना, दिसम्बर 2019, पृ0 70–71
2. प्रतियोगिता दर्पण, जनवरी 2018, पृ0 1077–1080
3. प्रतियोगिता दर्पण, जनवरी 2020, पृ0 1077
4. प्रज्ञा शर्मा– भारतीय समाज में नारी, 2001, पृ0 14–15
5. मुरलीधर चन्द्रकान्त भण्डारे– विश्व एवं महिला न्याय 2007, पृ0 128
6. मुरलीधर चन्द्रकान्त भण्डारे– विश्व एवं महिला न्याय 2007, पृ0 128–129
7. मुरलीधर चन्द्रकान्त भण्डारे– विश्व एवं महिला न्याय, 2007, पृ0 131–135
8. मुरलीधर चन्द्रकान्त भण्डारे– विश्व एवं महिला न्याय, 2007, पृ0 133
9. डॉ निशान्त सिंह– मानवाधिकार और महिलाएँ, 2008, पृ0 1–2
10. डॉ० बी०एल० फड़िया– अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, 2007, पृ0 302
11. डॉ० निशान्त सिंह– मानवाधिकार और महिलाएँ, 2008, पृ0 78–79
12. डॉ० निशान्त सिंह– मानवाधिकार और महिलाएं, 2008, पृ0 2–3

*****